

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :- 07432-230645,  
07432 -230646

फोन न. 07432-230403, फैक्स न. -230404  
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / लायसेंस / रिनीवल / न्याय / 2018 / 167

दिनांक 08 .01.2018

आदेश

निम्न शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा उनके पक्ष में जारी अनुज्ञापत्रों को अवधि 01.01.2017 से 31.12.2017 तक नवीनीकरण किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए जाने पर उनके चरित्र एवं आपराधिक प्रकरणों के संबंध में पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से रिपोर्ट प्राप्त किए जाने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके पत्र क्रमांक 8983 दिनांक 30.06.2017 से अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध संबंधित थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा न्यायालय विचाराधीन होने से नवीनीकरण किए जाने में असहमति रिपोर्ट प्रेषित की है।

अतः आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में निम्न शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक की असहमति रिपोर्ट प्राप्त होने से उनके पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को संबंधित थाने अविलम्ब जमा करा पालना से अवगत करावे।

क्र.स.	नाम अनुज्ञापत्रधारी	थाना	अनुज्ञापत्र सं०	यूनिक आईडी न.
1	श्री बद्रीलाल पुत्र कालूलाल बागरी निवासी पनवासा	असनावर	298 / आउट	29518002141123201
2	श्री गजानंद दांगी पुत्र भंवरलाल निवासी सुवास	रायपुर	1629	2951800113374520
3	श्री राजेश गुप्ता पुत्र रामरतन निवासी करावन	पगारिया	1719	2951800053387420
4	श्री दुर्गालाल पुत्र कन्हैयालाल गुराडियाजोगा	मिश्रौली	1520	2951800023040020
5	श्री राजाराम नागर पुत्र शिवचरण धाकड़ गुरजेनी	खानपुर	1525	2951800173235820
6	श्री मदन लाल पुत्र रामचन्द्र मीणा लुहारिया	अकलेरा	264	2951800019528820

(डा० जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड़  
दिनांक 08.01.2018

क्रमांक / न्याय / आर्म्स / 2018 / 167-182

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट हिसार हरियाणा को उनके द्वारा जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र सं० 421-12-डीएम/एचएसआर दिनांक 29.12.92 बद्रीलाल पुत्र कालूलाल बागरी निवासी पनवासा को निरस्त करने के संबंध में।
- 2- पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़
- 3- उप निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झालावाड़
- 4- संबंधित थानाधिकारी \_\_\_\_\_ को प्रेषित कर लेख है कि आपके क्षेत्र से संबंधित अनुज्ञापत्रधारी के अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को अपने थाने में जमा कराकर कार्यालय को रिपोर्ट भिजवावे।
- 5- अनुज्ञापत्रधारी श्री \_\_\_\_\_ को प्रेषित कर लेख है कि अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को संबंधित थाने में तत्काल जमा करावे।

जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड़

